UPET110113602022

<u>अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर, एटा</u>

J.O. Code. U.P. 1995

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–854 / 2022

राहुल उर्फ राजेश कुमार ———बनाम————राज्य

<u>11.10.2022</u>

<u>आदेश</u>

अभियुक्त राजेश कुमार की ओर से अपराध सं0–690 / 2017, अन्तर्गत धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 थाना जलेसर, जिला एटा के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्व है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अभियोजन पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि अपराध अजमानतीय है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के तथ्यों एवें परिस्थितियों को दृष्टिगत दखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त राजेश कुमार की ओर से अपराध सं0–690 / 2017, अन्तर्गत धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 थाना जलेसर, जिला एटा के प्रकरण में मु0–20,000 / –रूपये का एक व्यक्तिगत बंध पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर, एटा